कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ--1/12102/शा.शि.ग्रेड–.III/सी.ग.–2018/एन.जे./2021 दिनांक 11.06.2021

जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय,
माध्यमिक शिक्षा,
समस्त।

विषयः– राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के रिशफल जिला आवंटन पश्चात काउसंलिग के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.06.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समय सीमा तक कार्यग्रहण करने वाले तथा नवीन चयनित, अभिस्तावित अभ्यर्थियों का रिशफल/जिला आवंटन के सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में रिशफल जिला आवंटन उपरान्त जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है, उन्हें काउसंलिग प्रक्रिया से पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते है–

1. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों का रिशफल जिला आवंटन के तहत पूर्व आवंटित जिला में परिवर्तन होने वाले अभ्यर्थियों को ही नवीन आवंटित जिला में काउंसलिंग हेतु सम्मिलित किया जाना है अतः संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को ही काउसंलिग में सम्मिलित किया जावें।
2. काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों से पूर्व में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में नियुक्ति उपरान्त वर्तमान में कार्यरत होने के सम्बन्ध में वर्तमान पदस्थापित संस्था प्रधान से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. जिला परिवर्तित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व जिला से नवीन जिला आवंटित होने पर उक्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने तथा पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरान्त नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में रिशफल आवंटन पश्चात जिला परिवर्तन वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का विलोपन नहीं होगा।
5. रिशफल जिला आवंटन में जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है उनके समस्त दस्तावेज (मूल विस्तृत आवेदन पत्र, सेवा पुस्तिका, निजी पंजिका इत्यादि) पदस्थापन आदेश जारी होने के 15 दिवस में सम्बन्धित नवीन पदस्थापित विद्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
6. रिशफल आवंटन में विशेष विवरण में जिन अभ्यर्थियों के सम्मुख विशेष विवरण का अंकन किया गया है उसी अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को काउसंलिग के उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी होने पर नवीन आवंटित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
8. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में रिशफल आवंटन उपरान्त परिवर्तित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 17.06.2021 तक आयोजित की जावें तथा कार्यग्रहण की अन्तिम दिनांक 05.07.2021 रखी जावें। 21.06.2021 तक
9. विशेष विवरण कॉलम में अंकित टिप्पणी वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पूर्व आवंटित जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर केवल काउंसलिंग में ही सम्मिलित किया जावें तथा पूर्व आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि "उक्त अभ्यर्थियों का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध है तथा दस्तावेज सत्यापन

के अभाव में आज दिनांक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए है।" इसी के आधार पर केवल काउंसलिंग में भाग लेने योग्य होगा।

A रिशफल जिला आवंटन के पश्चात पदस्थापन की प्रक्रिया :–

1. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 के रिशफल आवंटन पश्चात जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तन हो रहा है केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नवीन आवंटित जिला में पदस्थापन हेतु Counselling Camp (परामर्श शिविर) सम्मिलित किया जायेगा तथा **जिन अभ्यर्थियों का रिशफल आवंटन पश्चात जिला परिवर्तन नहीं हुआ है, उनका पदस्थापन स्थान यथावत रहेगा।**
2. पदस्थापन हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया :– जिला को उपलब्ध करवाये गये पदस्थापन हेतु जिलेवार स्पष्ट रिक्त पदों का निर्धारण जिला के सभी जिलों में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या के अनुपात में किया जावेगा। जिन अभ्यर्थियों का रिशफल जिला आवंटन में जिला परिवर्तित हुआ है, उन अभ्यथियों के पदस्थापन स्थान को रिक्त मानते हुए रिक्तियों में प्रदर्शित किया जावें।
3. पदस्थापन बाबत जिला को उपलब्ध अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु जिलेवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में विद्यालयों को निम्न प्राथमिकता के अनुसार प्रदर्शित किया जावेगा–
   a) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के रिक्त पद वाले समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय (नामांकन के घटते हुये क्रम में)।
   b) ऐसे समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें शारीरिक शिक्षक/प्रबोधक शारीरिक शिक्षक/पैरा शारीरिक शिक्षक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। (नामांकन के घटते हुये क्रम में)
   c) पदस्थापन हेतु जिले में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या से अधिकतम 125 प्रतिशत (राउण्ड अप) तक रिक्तियाँ प्रदर्शित की जावें।
4. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जावेगी।
5. टीएसपी एरिया में टीएसपी हेतु निर्धारित नियुक्ति नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. रिशफल जिला आवंटन के पश्चात शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जावे :–
   a) 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी(राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   b) असाध्य रोग (कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर) से पीड़ित अभ्यर्थी (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   c) विधवा एवं परित्यकता महिला (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   d) शहीद सैनिकों के आश्रित (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   e) एकल महिला (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   f) महिला अभ्यर्थी (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   g) भूतपूर्व सैनिक (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
   h) शेष अन्य अभ्यर्थी (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के क्रम में।)
7. जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा बिन्दु संख्या A के अनुसार उपबिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार तैयार की रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या 6 के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची का प्रकाशन काउंसलिंग तिथि से एक दिन पूर्व विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय पर चस्पा किया जाकर वरीयता सूची में निर्धारित क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा।
8. कार्मिक द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) में प्रदर्शित रिक्तियों में से चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जायेंगे।
9. चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो Counselling Camp (परामर्श शिविर) में अनुपस्थित रहेगें, उन्हे Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जायेंगे।

10. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों (All Details where About) की जॉच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हो। संस्थापन त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जॉच सुनिश्चित की जावें।

10. जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न–सूची (टीएसपी–78 एवं एनटीएसपी–1244)

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया जाता है आपके जिलें में कार्यरत अभ्यर्थियों जिनका जिला परिवर्तित हुआ है को नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
6. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि रिशफल जिला आवंटन के पश्चात जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है उन अभ्यर्थियों को नवीन जिले में काउसंलिग में भाग लेने के पश्चात पदस्थापन आदेश जारी होने पर नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ.–2018/एन.जे./2021 दिनांक 11.06.2021

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,
उदयपुर/प्रतापगढ़।

विषयः– राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर–अनुसूचित क्षेत्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्रांक प.14(66)(1) RSSB / अर्थना/मा.शि.वि./पीटीआइ ग्रेड–III/पा.जां./2018/3278 दिनांक 21.08.2020 एवं इस कार्यालय के क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ.–2018/एन.जे./2021 दिनांक 27.11.2019 एवं 07.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा– 2018 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि इन्हें इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.2019 में वर्णित शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान कर नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु विभाग के कम्प्यूटर अनुभाग की ई–मेल आई.डी. sa.dse@rajasthan.gov.in एवं संस्थापन एफ–अनुभाग की ईमेल ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.2019 में उल्लेखित शर्तों के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों की भी पालना सुनिश्चित करावें –

1. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 21/05/19 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में यदि उसका सेवानिवृति आदेश जारी हो चुका है ओर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, की तिथि तक सेवानिवृति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवा निवृति का प्रमाण पत्र माना जावेगा।" इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक के लाभ देय होगें एव नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थीयों का नियुक्ति आदेश जारी कर, उनके सेवा मुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान करेगें। सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक का सेवानिवृति आदेश प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।
3. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 15078/2019,18068/2019,13257/2018, 5210/2020,4654/2020 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होंगी।

अतः संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 17.06.21 to 21.06.2021 तक को आयोजित कर उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी किया जावें तथा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 05.07.2021 रखी जावें। सूची में अंकित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र लिए जाने हेतु आपके कार्यालय के संस्थापन लिपिक को निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर–11 में काउंसलिंग तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
संलग्नः–सूची (पीएसपी–10)

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–1 / 12102 / शा.शि.ग्रेड–.III / सी.भ.–2018 / एन.जे. / 2021 दिनांक 11.06.2021

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,
बारां / बाडमेर / धौलपुर / जैसलमेर / जालोर /
झालावाड़ / करौली / सिरोही।

विषयः-- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर–अनुसूचित क्षेत्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्रांक प.14(66) (1) RSSB / अर्थना / मा.शि.वि. / पीटीआइ ग्रेड–III / पा.जां. / 2018 / 3278 दिनांक 21.08.2020 एवं इस कार्यालय के क्रमांकः–शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–1 / 12102 / शा.शि.ग्रेड–.III / सी.भ.–2018 / एन.जे. / 2021 दिनांक 29.11.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा– 2018 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि इन्हें इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.11.2019 में वर्णित शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान कर नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु विभाग के कम्प्यूटर अनुभाग की ई–मेल आई.डी. sa.dse@rajasthan.gov.in एवं संस्थापन एफ–अनुभाग की ईमेल ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.11 2019 में उल्लेखित शर्तों के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों की भी पालना सुनिश्चित करावें –

1. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 21 / 05 / 19 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में यदि उसका सेवानिवृति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, की तिथि तक सेवानिवृति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवा निवृति का प्रमाण पत्र माना जावेगा।" इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक के लाभ देय होगें एवं नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थीयों का नियुक्ति आदेश जारी कर, उनके सेवा मुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान करेगें। सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक का सेवानिवृति आदेश प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।
3. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 15078 / 2019,18068 / 2019,13257 / 2018, 5210 / 2020,4654 / 2020 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होंगी।

अतः संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 17.06.21 से 21.06.2021 तक को आयोजित कर उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी किया जावें तथा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 05.07.2021 रखी जावें। सूची में अंकित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र लिए जाने हेतु आपके कार्यालय के संस्थापन लिपिक को निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर–11 में काउंसलिंग तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः–सूची (एनटीएसपी–95)।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर